

—: आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर वर्ष 2008 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रुपये 7950/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं.	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा. संजय पारीक सी-6, प्लॉट नं. 106, माधो पर्ल प्राईड, विवेकानन्द मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राज.)	14	19-10-71	Gen-M	सामु0स्वा0केन्द्र अराई (अजमेर)
2.	डा. संध्या कुमारी, प्लॉट नं. 29, शान्ति नगर, कालवाड रोड, जोशी मार्ग, झोटवाडा, जयपुर- 12	136	10-06-79	Gen-F	सामु0स्वा0केन्द्र सालासर (चुरु)
3.	डा. पूजा मीणा, द्वारा डा. पुष्पा साबू 2/181, विद्याघर नगर, जयपुर-302023	141	04-02-80	Gen-F	प्रा0स्वा0केन्द्र खजवाना (नागौर)
4.	डा० रेखा दुनिवाल, 3/387, देहली गेट के बाहर, लौंगिया मौहल्ला अजमेर	163	01-08-80	Gen-F	प्रा0स्वा0केन्द्र सरसियामैला (भीलवाडा)
5.	डा. जसवन्त सिंह, ग्राम बपावर खुर्द, पोस्ट बपावर कला, तह0 सांगोद, कोटा - 325207	244	03-01-80	ST-M	प्रा0स्वा0केन्द्र लोहारिया (बांसवाडा)
6.	डा. ममता मीणा, द्वारा रत्तीराम मीणा, रेल्वे आवास क्र. ई/90/सी, पुरानी रेल्वे कॉलोनी स्टेडियम के सामने, कोटा जक्शन, कोटा	255	02-01-82	ST-F	प्रा0स्वा0केन्द्र अरनोदा (चित्तौडगढ)

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 22-क के तहत इन्हें चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात 3 वर्ष की कालावधि के लिये ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्वधीन है। दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

✓


40

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिखे जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।


जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभालकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोग, संबंधित।
- 7) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 8) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अन्यार्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अन्यार्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावे एवं छाया प्रति आपके कार्यालय में रख ले।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल वरिष्ठ सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 11) आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।